

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 01(01)न्याय/2026

जयपुर, दिनांक 11.08.2026

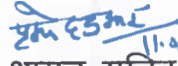
::अधिसूचना::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) व धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (सन् 2023 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 46) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Suo Moto Writ Petition (Civil) No. 8/2025 में जारी आदेशों की अनुपालना में दर्ज मुकदमों के त्वरित निस्तारण हेतु निम्नलिखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर के विशेष न्यायालय, तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है:-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला/न्यायक्षेत्र	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1	विशेष न्यायालय (पर्यावरण प्रकरण), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली	पाली	पाली

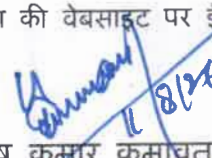
नोट-उपरोक्त न्यायालय को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 10 (2) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों प्रदान की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,


प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
8. जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, पाली।
9. महानिदेशक, आरक्षी/जेल, राजस्थान, जयपुर।
10. शासन सचिव, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. एसीपी (उप निदेशक), विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर ई-गजट में ऑनलाइन प्रकाशन करवाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।


(आशीष कुमार कुमार)
संयुक्त शासन सचिव